हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 119

वीरवार, 03 सितम्बर, 2026/12 भाद्रपद, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित प्रश्न :**

तारांकित प्रश्न संख्या: 3920, 4055 व 4079 (स्थगित) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सूचना

"मान्य सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 1100 सूचनाएं नोटिसिज के माध्यम से मांगी गई थीं। कुल 10 सिटिंग्ज में सिर्फ 5 से 7 प्रश्नों की सूचनाएं डैफर हुई हैं जोकि बहुत बड़ा आँकड़ा नहीं है। So, don't make aspersion on the Vidhan Sabha in respect of questions' replies."

तारांकित प्रश्न सं0 4732, 4733, 4734 तथा 4735 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4736 से 4778 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित प्रश्न :**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1910 से 1951 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

माननीय मुख्य मंत्री ने मान्य सदन को अवगत करवाया कि इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की ओर से एक सुझाव आया है कि नेपाल में जो प्रलय आई है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और विधायक दल की ओर से भी कुछ योगदान किया जाए। इस संदर्भ में वे सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी माननीय सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार इस आपदा में योगदान करना चाहते हैं, वे कुछ-न-कुछ योगदान अवश्य दें। इसमें सरकार भी कुछ योगदान देने की दृष्टि से आगे बढ़ेगी।

2. शून्यकाल:

दिल्ली में एक कार्यक्रम के मद्देनजर **माननीय मुख्य मंत्री** ने मान्य सदन से आग्रह किया कि आज जीरो आवर को शॉर्ट किया जाए और इसके अन्तर्गत लगाए गए विषयों के उत्तर माननीय सदस्यों को लिखित में दे दिए जाएं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने शून्यकाल को शॉर्ट करने के आग्रह पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि अगर माननीय मुख्य मंत्री को किसी आवश्यक कार्यक्रम हेतु दिल्ली जाना है तो उन्हें जाने दिया जाए परन्तु मान्य सदन के बिजनेस को शॉर्ट करना कदापि उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों को सुनने के बाद माननीय मुख्य मंत्री व मान्य सदन की मंशा को मद्देनजर रखते हुए शून्यकाल को लंच के बाद टेक अप करने का निर्णय लिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, अध्याय-XI विविध प्रावधान की धारा 45 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (संयुक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार।

4. विधायी कार्य:

<u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(1) डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) पारित हुआ।

(2) श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

माननीय राजस्व मंत्री ने लाए गए संशोधन विधेयक व अमेंडमैंट के संदर्भ में ऑब्जैक्ट एंड रीजन्स के बारे में मान्य सदन को विस्तार से अवगत करवाया तथा बताया कि इससे रेवेन्यू जनरेट करने व जी0पी0ए0 के माध्यम से हो रही क्रप्शन को रोकने के संबंध में कारगर कदम उठाए गए हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने अवगत करवाया कि पहले महिलाओं के लिए एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी पर 8 परसेंट स्टाम्प डयूटी ली जाती थी अब उसे कम करके 4 परसेंट कर दिया गया है ताकि महिलाओं को अधिकाधिक प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिले और उनके नाम ज्यादा-से-ज्यादा रजिस्ट्रियां हों। इसमें महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण व रेवेन्यू जनरेट करने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं इसलिए इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपने तर्क रखते हुए उक्त संशोधन विधेयक का विरोध किया क्योंकि इसमें स्टाम्प डयूटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज की गई है। उन्होंने इस इंक्रीज की वजह से प्रॉपटी ट्रांजैक्शन के रुकने का अंदेशा भी व्यक्त किया तथा साथ ही स्टाम्प डयूटी को कम करने का भी आग्रह किया। उन्होंने गरीबों के हित को मद्देनज़र रखते हुए उक्त संशोधन विधेयक को वापिस लेने और अगले सत्र में लाने का आग्रह किया।

(12.16 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)
(12.21 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 पर सरकार की ओर से दिए संशोधन को प्रस्तुत हुआ समझा गया।

खण्ड-2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 **का विधेयक संख्यांक** 12) **संशोधित रूप में पारित हुआ।**

(3) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने कहा कि उक्त अमेंडमैंट को 6 मई, 2026 को ऑर्डिनैंस लाकर लागू किया जा चुका है। जिसके माध्यम से पुत्र बधू को परिवार की परिभाषा में शामिल करके पूर्व एनक्रोचमैंट की सूरत में पंचायत के चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है जोकि अलोकतांत्रिक व महिला विरोधी निर्णय है जिसकी वे निंदा करते हैं। उन्होंने उक्त संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापिस लेने का भी आग्रह किया।

माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने भी उक्त अमेंडमैंट को किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करने के इरादे से लाई गई अमेंडमैंट बताया और इसे वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने ऑर्डिनेंस को मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट व महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए उसके आधार पर लाए गए उक्त संशोधन विधेयक को तुरन्त प्रभाव से वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर बिंदुवार उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय राजस्व मंत्री और माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 व 3 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पारित हुआ।

(4) श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 से 14 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

(1.06 बजे अपराह्न भोजनावकाश के लिए मान्य सदन की बैठक 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(2.05 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

<u>शून्यकाल</u>

1. **माननीय सदस्य श्री आर0एस0बाली** ने सरकार द्वारा ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेट की वैधता एक साल करने के बावजूद उसके बनाने में ओ0बी0सी0 समाज को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में मान्य सदन को अवगत करवाया तथा इस समस्या के समाधान हेतु ओ0बी0सी0 सर्टिफिकेट की वैधता तीन या पाँच साल करने का आग्रह किया। दूसरा, उन्होंने रेबीज़ की बीमारी से ग्रसित कुत्तों द्वारा पशुओं व मनुष्यों को काटने व इसके परिणामस्वरूप पशुओं के पागल होने की वजह से उत्पन्न समस्या की ओर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा पशुओं को कन्ट्रोल करने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स व ट्रैंक्विलाइज़र गन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

माननीय कृषि मंत्री ने जिन-जिन पशु औषद्यालयों में ट्रैंक्विलाइज़र गन उपलब्ध नहीं है उन्हें उपलब्ध करवाने तथा वेटरिनरी डॉक्टर्ज को इस विषय में संज्ञान लेकर उचित प्रबन्ध करने के निर्देश देने का आश्वासन दिया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए दूसरे विषय को सम्बन्धित विभाग तक पहुँचाया जाएगा तथा की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत करवाया जाए।

2. **माननीय सदस्य डॉ0 हंसराज** ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बारिश की वजह से खराब हुई सड़कों का विस्तार से जिक्र करते हुए उन्हें दुरुस्त करने का माननीय मंत्री से आग्रह किया।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे माननीय सदस्य से इस विषय में आज ही लिखित में सूची ले लेंगे और आज ही एस0ई0, डलहौजी व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चुराह को निर्देश देंगे कि चले रहे कार्यों को एक्सपेडाइट किया जाए। जहाँ पर बजट की आवश्यकता है उसमें सचिव महोदय को कहा जाएगा कि प्रभावी रूप से अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए।

3. **माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार** ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की 17 फ्लो इरिगेशन स्कीमों व विभिन्न क्षतिग्रस्त कुहलों की ओर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ये सारी कुहलें डस्टबिन बन गई हैं। इनमें सीवरेज फ्लो डाल दिया गया है जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन कुहलों को अतिशीघ्र रिस्टोर करने का आग्रह किया ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके।

माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, they don't have the reply yet but he will reply back to him.

4. **माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल** ने मान्य सदन को अवगत करवाया कि मल्यावर गाँव को कनैक्ट करने वाली सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है जिसकी वजह से गाँव का कनैक्शन अन्य क्षेत्रों से कट गया है और वहाँ के निवासियों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने माननीय मंत्री से उपायुक्त महोदय को उस गाँव हेतु वैकल्पिक सड़क शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्वविद्यालय व कॉलेजों में ली जा रही फीसों और रिवैल्यूएशन फीस में की गई बेतहाशा वृद्धि का मामला मान्य सदन में उठाया तथा फीस को कम करने व रिवैल्यूएशन फीस को जीरो करने का आग्रह किया।

माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकतर विषय विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है जोकि स्वायत्त संस्था है। यह मामला उस स्तर पर टेक अप किया जाएगा और इसके अतिरिक्त कॉलेजिज इश्यू के बारे में वस्तुस्थिति पता करके तद्नुसार मान्य सदस्य को अवगत करवाया जाएगा।

<u>अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था</u>

"शून्यकाल के 11 विषय थे, उनमें से चार माननीय सदस्यों के विषय टेकअप हो गए हैं। उनमें सर्वश्री हरदीप सिंह बाबा, इन्द्र दत्त लखनपाल, सुरेन्द्र शौरी, लोकेन्दर कुमार, विवेक शर्मा (विक्कू), इन्द्र सिंह और श्री जीत राम कटवाल जी के विषय शेष रहते हैं। इनके अलावा भी हाथ खड़े हो रहे हैं। अगर वे जीरो ऑवर के विषय हैं तो आप सभी मुझे उन्हें लिख कर दे देना। उन सारे इश्यूज़ को एडमिट किया जा रहा है। आप सभी ने जो विषय लिखे हैं और लिख कर देंगे, उनको संबंधित विभाग को भेजा जाएगा तथा उनसे कहेंगे कि इन विषयों के ऊपर कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से आप सबको अवगत करवा दें।"

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

दिनांक 31.08.2026 को माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी :-

"युवाओं के लिए रोज़गार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री आशीष बुटेल, मा0 सदस्य
2. श्री सुरेन्द्र शौरी, मा0 सदस्य

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वे नियम-130 के अंतर्गत होने वाली अधिकांश बहसों में नहीं बैठे हैं परंतु नियम-130 का जो विषय है उसे सभी सदस्यों को भली-भांति समझना चाहिए। आपमें से कुछ सदस्य बहुत युवा हैं। स्वाभाविक रूप से किसी को वर्ष 2027 में, किसी को वर्ष 2032 में और किसी को वर्ष 2037 में यहां आने का अवसर मिल जाएगा। कृपया यह ध्यान रखें कि नियम-130 का अर्थ नियम-130 ही है। बजट भाषण का अपना स्वरूप होता है, राज्यपाल के अभिभाषण का अपना स्वरूप होता है तथा नियम-130 के अंतर्गत होने वाली चर्चा का अपना अलग स्वरूप होता है। इन सभी प्रकार के भाषणों और चर्चाओं में स्पष्ट अंतर है।

माननीय उद्योग मंत्री ने नियम-130 के अंतर्गत उठाए गए विषयों के बारे में विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्पष्टीकरण मांगने का आग्रह करने पर माननीय अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नियम-130 के अंतर्गत चर्चा पर उत्तर आने के बाद चर्चा वहीं समाप्त हो जाती है उसमें स्पष्टीकरण नहीं होता। फिर सत्र का आखिर दिन होने के नाते उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने माननीय उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि जितना गंभीर विषय चर्चा की दृष्टि से इस मान्य सदन के अंदर लाया गया था, उतना ही गैर-जिम्मेदाराना तरीके से उसकी गंभीरता को समाप्त कर दिया गया है। विपक्ष जो जानना चाह रहा था, उनमें से एक भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।

(3.41 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

इस पर माननीय उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने 50 हजार नौकरियां दी हैं। इसके अलावा 1,60,000 नौजवानों को रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए हैं और यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है इनके पास आज कोई खास मुद्दा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को भटकाने की कोशि कर रहे हैं। ये अखबारों और सोशल मीडिया में आने के लिए वॉक आउट कर रहे हैं जिसकी वे निंदा करते हैं।

(3.42 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के अन्दर पुन: वापिस आए।)

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

सदन का समय बचाने के लिए सर्वश्री नीरज नैय्यर, दलीप ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी, सतपाल सिंह सत्ती, बलबीर सिंह वर्मा, इन्द्र दत्त लखनपाल और मोहन लाल ब्राक्टा माननीय सदस्यों की ओर से नियम-324 के अंतर्गत विषय उठाए गए समझ गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए समझे गए, जिनके उत्तरों की प्रति माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

सत्र का समापन

सत्र की समाप्ति पर माननीय उद्योग मंत्री का सम्बोधन

"हमारा मानसून सत्र कुल 10 दिन चला है और आज सत्र का आखिरी दिन है। इस दस दिन के सत्र में बहुत सारे मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बहुत लंबी चर्चा हुई है जोकि माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार का विषय था। हिमाचल प्रदेश में रोज़गार प्रदान करने के संबंध में भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अपनी उच्च परंपराएं रही हैं और हमारी डिबेट का लेवल भी बहुत हाई रहा है। वे वर्ष 1993 से माननीय सदन में हैं और उस समय भी बहुत उच्च कोटि के पार्लियामेंटेरियन्स को देखा है। आज वे यह कह सकते हैं कि हमारे नौजवान तथा फर्स्ट टाइम एम0एल0ऐज0, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उन सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हमारे सदन की जो डिग्निटी और उच्च परंपराएं हैं उन्हें सभी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं।

विपक्ष के रूप में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। जब वे विपक्ष में थे तब भी उन्हें अपने इश्यूज़ को सदन के माध्यम से उठाने और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का अवसर मिलता था। सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जनता की आवाज सरकार के समक्ष रखते हैं।

इस विषय पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। वे अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करेंगे कि इस सदन को चलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। विधान सभा सेक्रेटरी, विधान सभा स्टाफ, प्रेस तथा पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर्ज़ का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। इसके लिए वे सत्तापक्ष तथा विपक्ष के विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके साथ ही वे मीडिया के सभी बंधुओं का भी धन्यवाद करेंगे जोकि हिमाचल की जनता तक मीडिया के माध्यम से इस सदन की आवाज पहुंचाते हैं।"

सत्र की समाप्ति पर माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्बोधन

"मॉनसून सत्र का आज समापन हो रहा है और यह दस दिन का सत्र रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि संख्या बल के आधार पर सत्तापक्ष ने विपक्ष की अधिकांश बातों को सुना तो सही लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों को लेकर माननीय सदन में चर्चा की उनका कोई अर्थ नहीं है। वे विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत संजीदगी के साथ सभी विषयों पर चर्चा में भाग लिया।

इस बार जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो सदन के अंदर और सदन के बाहर एक अजीबो-गरीब स्थिति देखने को मिली। पहले सदन का शुभारंभ राष्ट्रीय गान के साथ होता था और इस बार भी राष्ट्रीय गान के साथ ही हुआ जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वे उम्मीद कर रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा, राज्यसभा में जो बिल पारित

किया है उसके तहत राष्ट्रीय गीत का गायन इस मान्य सदन में भी होता तो अच्छा रहता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला पार्लियामैंट द्वारा पारित कानून से ऊपर नहीं हो सकता। देश कानून से चलेगा और पार्लियामैंट द्वारा पारित कानून से ही चलेगा। अध्यक्ष महोदय के समक्ष इस विषय को लेकर सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ और पहले दिन से ही सदन अवरुद्ध हुआ। दूसरे दिन भी गतिरोध बना रहा। लेकिन पीड़ा का विषय यह है कि विपक्ष के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' का अपमान किया। इस माननीय सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई गई। जब उन्होंने उस वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया तो पाया कि आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित था। अंततोगत्वा सारे विषय स्पष्ट हो गए।

इस माननीय सदन में बहुत से बिल भी पारित हुए। उन पर माननीय सदन में विपक्ष ने अपना पक्ष रखा। वे सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया चाहे वे सत्ता पक्ष या विपक्ष के हों। मंत्रियों ने अपनी क्षमता से जवाब देने का प्रयत्न किया। वे इस बात से भी सहमत हैं कि जब सत्र होता है तो सत्र के दौरान विधान सभा सचिवालय के बहुत सारे कर्मचारी दिन-रात परिश्रम करते हैं, वे उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। जब इस सदन की गरिमा से विषय जुड़ते हैं और जब सत्र का समापन होता है या सत्र शुरू होता है तो अधिकारी दीर्घा इस तरह की नहीं होती जिस प्रकार से इस वक्त देख रहे हैं। यहां पर अधिकारियों को बैठना चाहिए था भले ही मुख्य मंत्री जी को आवश्यक कार्य हेतु जाना पड़ा हो। लेकिन यह चिंता का विषय है। उन्हें विश्वास है कि अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे।

वे मीडिया जगत के सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनकी बात को प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य समस्त माध्यमों से जनता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है।"

सत्र की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

"आज सदन का अंतिम दिन है। विशेष रूप से उन सभी सदस्यों को जो मंत्री पद पर नहीं हैं, यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने यह निर्णय लिया है कि सभी माननीय सदस्यों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा का 'Distinct Flag' उपलब्ध करवाया जाएगा। कल सदस्य सुविधा समिति की बैठक में इस विषय पर निर्णय लिया गया है और लगता है कि एक सप्ताह के भीतर ये फ्लैग सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इस फ्लैग के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

इस मॉनसून सत्र के दौरान 10 बैठकें हुईं। यह सत्र दिनांक 21 अगस्त, 2026 से 3 सितंबर, 2026 तक आयोजित हुआ। इसकी कार्यवाही लगभग 45:30 घंटे चली। इस तरह से सदन की प्रोडक्टिविटी 91 प्रतिशत रही। देश भर की विधान सभाओं की

प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत कम ऐसी विधान सभाएं हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी 70 प्रतिशत से अधिक है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की चौदहवीं विधान सभा की प्रोडक्टिविटी 90 प्रतिशत से 132 प्रतिशत तक गई है। इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप हर विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और सुझाव भी देते हैं।

सत्र के दौरान पूर्व में रहे सदस्य स्वर्गीय श्री विजयेन्द्र सिंह, श्री राम चंद भाटिया, श्री ज्ञान चंद जी और श्री राम रतन शर्मा जी का निधन हुआ। सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वे अपनी तथा सदन की ओर से उन सभी के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। अपनी संवेदनाओं का संदेश उनके परिवारों तक पहुंचाया गया है।

सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी चर्चा हुई। कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जिन पर आधे-आधे घंटे तक माननीय सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। ये जनहित के विषय थे। इसमें कुल 514 तारांकित और 272 अतारांकित सूचनाओं को इस मान्य सदन में उपलब्ध कराया गया।

नियम-62 के अंतर्गत 14 विषय रखे गए और उन पर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय मंत्रिगण के द्वारा उनका जवाब दिया गया। पूरी उम्मीद है कि माननीय सदन में उठाए गए विषयों के जो जवाब दिए गए हैं उससे जनता को लाभ होगा।

सत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2026 को एक दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस भी निर्धारित था। नियम-101 के अंतर्गत पांच गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए। इनमें से दो संकल्पों पर माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए और वे संकल्प अडॉप्ट भी हुए।

यह भी इस मॉनसून सत्र का एक संतोषजनक रिकॉर्ड है कि दो प्राइवेट मेंबर्स डेज के दौरान विपक्ष के द्वारा लाए गए संकल्पों को सदन ने अडॉप्ट किया। इसके लिए भी उन माननीय सदस्यों को और सदन को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई।

नियम-130 के अंतर्गत दो ही विषय चर्चा में आ सके क्योंकि दोनों विषयों के ऊपर बहुत लंबी चर्चा हुई। एक विषय स्वास्थ्य से संबंधित था और दूसरा रोज़गार से संबंधित था जिस पर आज चर्चा समाप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त सात सरकारी विधेयक सभा में प्रस्तुत हुए। उन पर चर्चा हुई और वे पास भी हुए। शून्य काल में 34 जो इश्यूज थे वे भी माननीय सदस्यों की ओर से इस माननीय सदन में चर्चा में आए और संबंधित माननीय मंत्रिगण ने उनका जवाब भी

दिया। विधान सभा सचिवालय का भी प्रयास रहेगा कि सदन में जो विषय उठे हैं उन विषयों के ऊपर संबंधित विभाग सार्थक कदम उठाएं।

नियम-324 के अंतर्गत भी आज 11 विषय यहां पर उठाए गए। सदन की जो विधान सभा की कमेटियां हैं उनकी ओर से 44 प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किए गए। इसके लिए हाउस कमेटीज के सभी चेयरमैन को भी शुभकामनाएं और बधाई। यह बहुत अच्छा आंकड़ा है और सत्र के दौरान संयुक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुआ और वह रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई गई। हमेशा की तरह इस सत्र के दौरान भी भरसक प्रयास रहा है कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले, इसके लिए वे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री और सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय विधायकों का भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। आपका पूरा सहयोग सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप में संचालित करने में मुझे मिला। वे सभापति तालिका के सभी सदस्यों के आभारी हैं। विशेष रूप से श्री संजय रत्न जी और श्री आशीष बुटेल जी जिन्होंने यहां सभापति के रूप में संचालन करके उनकी जिम्मेवारी को बांटा है। इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन में गणमान्य व्यक्तियों व विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों तथा अन्य लोगों ने दीर्घायों में बैठकर सदन के संचालन और कार्यवाही को देखा। लगभग 2,000 के करीब विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों ने इस मानसून सत्र में विधान सभा की कार्यवाही देखी है। कुल मिलाकर प्रदेश भर से अब दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों के बच्चे विशेष रूप से यहां आते हैं और विधान सभा की कार्यवाही के प्रति उनका इंटरेस्ट जागृत हुआ है।

मैं समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभारी हूं लेकिन यह एक गंभीर विषय है कि आज वे ऑफिसर गैलरी में होने चाहिए थे लेकिन नहीं हैं। They are supposed to be there in the Officer Gallery, Chief Secretary, Additional Chief Secretaries and higher officers. Their non-presence is not a good thing; it is not a good convention, so we will look into this also. परंतु उन सभी सरकारी अधिकारियों का भी आभारी हूं जिन्होंने विधान सभा को सहयोग दिया है। आपके प्रश्नों और नोटशीट्स की जो सूचनाएं उपलब्ध करवानी होती हैं वह विभागों के माध्यम से होती हैं इसलिए उन्होंने जो सहयोग हमको दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। विधान सभा सचिवालय के सचिव और उनके सभी सहयोगियों तथा अधिकारियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिन-

रात मेहनत करके माननीय सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध करवाने में पूरा प्रयास किया और सूचनाएं उपलब्ध भी करवाईं।

पुलिस पर्सनल्स ने शांति बनाए रखने में विधान सभा के परिसर और विधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि विधान सभा के अंदर जो भी घटित हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से तथा सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने हैंडल से भी प्रसारित किया है।

विधान सभा के अंदर जो कलेक्टिव चर्चा हुई, उसका जो निष्कर्ष निकला उसको प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से एक-एक पेज के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं, हम इस सत्र का समापन राष्ट्रीय गीत से करेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे अपने-अपने स्थान पर राष्ट्रीय गीत के लिए खड़े हो जाएं।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(**4.12** बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

*****